<u>अप्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
दांडिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र

दांडिक अपील संख्या- 779/2010

धनपाल ..... अपीलार्थी

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) ..... प्रत्यर्थी

सहित

दांडिक अपील संख्या- 1442/2019
(विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) संख्या- 3045/2010 से उद्भूत)

दांडिक अपील संख्या- 1441/2019
(विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) संख्या- 3043/2010 से उद्भूत)

<u>निर्णय</u>

<u>अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति</u>

1. एक सामूहिक हमला जिसमें परिणामस्वरूप अजय कुमार शर्मा की मृत्यु हो गई, इन तीनों अपीलों को जन्म देती है| घटना 9 अगस्त, 1996 की शाम को घटी| उसकी मृत्यु का कारण हमले के दौरान छुरा घोंपने से आयी चोटें थीं | विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) संख्या- 3045/2010 से उद्भूत हुई दांडिक अपील संख्या- 1442/2019 में अपीलार्थी संजीव, जब अपना दुपहिया चला रहा था तो उसने किसी संजय के ठेले में टक्कर मार दी, उस स्थान पर जो भजनपुरा पुलिस थाने के अंतर्गत पुराना मौजपुर, उत्तर पूर्वी दिल्ली

में संजय के घर के पास था| मृतक पीड़ित अजय संजय का चचेरा भाई था| विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य के खुलासे के अनुसार, भिडंत के बाद उक्त संजीव और संजय के बीच किसी प्रकार का मौखिक विवाद हुआ था| विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) संख्या- 3043/2010 से उद्भूत दांडिक अपील संख्या- 1441/2019 की कार्यवाही में अपीलार्थी संत राम भी मौके पर पहुँच गया था और उक्त झगड़े में संजीव का पक्ष लेने लगा| संजय के दो रिश्तेदारों नरेंद्र कुमार (PW-3) और शोभा राम (PW-4) के बीच-बचाव पर संजीव के साथ अस्थायी युद्ध विराम हो गया था और संत राम ने वह स्थान छोड़ दिया था| हालाँकि, थोड़े समय बाद संजीव तीन अन्य व्यक्तियों- कमल, धनपाल और उक्त संत राम के साथ घटना के स्थान पर वापिस आया| संजीव की बहन कमल की पत्नी है| कमल का पिता धनपाल है और संत राम धनपाल का भाई है, इस प्रकार कमल का चाचा है|

2. जब तक ये चारों व्यक्ति घटनास्थल पर वापिस पहुंचे थे, अजय अपना डेरी का काम ख़त्म कर वहां पहुँच चुका था| अजय डेरी फार्म का व्यवसाय चलाता था| साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि समय के उस बिंदु पर संजय शोभा राम और नरेंद्र के साथ झगड़े को लेकर विचार-विमर्श कर रहा था| संजय के बयान के अनुसार, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट का आधार बना, जिससे मुकद्दमे की शुरुआत हुई, फिर धनपाल ने कहा “ले लो गाड़ी वाले को बच के जाने न

पाए"| इसके बाद उन चारों ने अजय पर हमला कर दिया| धनपाल, संजीव और संत राम ने अजय पकड़ा और चंद सेकंडों में ही कमल ने चाकू से अजय की छाती, पेट और कूल्हे पर हमला कर दिया| उसके बाद संजय नरेंद्र की मदद से मृतक को जी.टी.बी. अस्पताल लेकर गया| अस्पताल में अजय को मृत लाया गया घोषित कर दिया था| शव-परीक्षण शल्य-चिकित्सक ने शव परीक्षण रिपोर्ट में अजय के शरीर पर 7 चोटें दर्ज कीं जिनमें से 4 छुरा घोंपने के कटे हुए घाव थे| यह घाव कूल्हे के दाईं तरफ, छाती के सामने की मध्य रेखा, पेट के सामने की मध्य रेखा और छाती के दाईं तरफ मध्य कक्षीय रेखा में थे| पेट के सामने के ऊपर मध्य रेखा पर भी चोट थी और इसे 'चीरा घाव' उल्लेखित किया गया था| उक्त रिपोर्ट में अन्य दो चोटों का उल्लेख किया गया था जो बाईं अग्रबाहु के पीछे लाल रगड़ साथ ही बाईं तरफ की गर्दन के सामने के हिस्से पर भी था| इन चोटों को विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों में अभिलेखित किया गया है| विचारण न्यायालय के निर्णय में यह भी अभिलेखित किया गया है कि उक्त चोटें सामान्य क्रम में मौत का कारण बनने के लिये पर्याप्त थीं | विचारण न्यायालय ने तीनों अपीलार्थी और कमल को भी, जिन चारों को अभियुक्त व्यक्तियों के तौर पर दोषी ठहराया गया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया गया| विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर आने

के लिये मुख्य रूप से घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में PW-1 (संजय) PW-3 और PW-4 के बयानों पर निर्भर थी| जहाँ तक कमल की दोषसिद्धि का सवाल है, हम विचारण न्यायालय के निर्णय से यह पाते हैं कि उसके बयान के आधार पर उसके खून से सने पहने हुए कपड़ो की बरामदगी हुई थी| परन्तु, इन तीनों अपीलों के सम्बन्ध में, दोषसिद्धि का आधार घटना के चश्मदीद गवाह का वर्णन था| संजय (PW-1) नरेंद्र कुमार (PW-3) और शोभा राम (PW-4) ने चश्मदीद के रूप में गवाही दी और मृतक पीड़ित पर हमले का एक समान ब्यौरा दिया|

3. हमले की घटना शाम लगभग 6:15 बजे घटित हुई| जाँच अधिकारी, सुरेन्द्र कुमार (PW-19) अस्पताल पहुँचा था और PW-1 का बयान दर्ज किया| वास्तविक प्रथम सूचना रिपोर्ट रात में 9:30 बजे भजनपुरा पुलिस थाने में दर्ज की गई थी| उस आधार पर धारा 302/34 के तहत एक मुकद्दमा शुरू किया गया था|

4. विचारण न्यायालय ने तथ्य के उपरोक्त तीनों गवाहों के बयानों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थियो को दोषी पाया| विचारण न्यायालय ने तीनों प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर विश्वास किया और उनकी मुख्य गवाही के दौरान उनकी गवाही में मुख्य विरोधाभास या भिन्नता नहीं पाई गई| प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और प्रत्येक

को 2000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया| सज़ा के आदेश में यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, प्रत्येक दोषी अपराधी को एक महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा काटनी पड़ेगी| उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय और सज़ा के आदेश की पुष्टि की| हमारे समक्ष, तीनों अपीलार्थियो के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियो को उपरोक्त प्रावधानों के तहत दोषी ठहराने के लिये साक्ष्य नहीं था| अपीलार्थियों का प्रतिवाद यह है कि उन्हें यह जानकारी नही थी कि कमल चाकू लिये हुए था या उसकी अजय को चोट पहुँचाने की मंशा थी, जिसके कारण पीड़ित की मौत हो गई|

5. हालाँकि, यह स्थापित करने के लिये पर्याप्त सामग्री है कि तीनों अपीलार्थी घटनास्थल पर एक साथ वापिस आए थे एवं धनपाल के उकसाने पर अजय को मारने के लिये धनपाल के साथ मृतक पीड़ित पर हमला किया| उन्होंने पीड़ित के साथ हाथापाई की और उक्त कमल ने उस पर चाकू से कई वार किए| सबूत के खुलासे के आधार पर, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पाया कि सभी चारों दोषियों की पहले बैठक हुई थी और सभी तीनों अपीलार्थियो का कमल के साथ सामूहिक प्रयोजन था| इस बिंदु पर, इस न्यायालय का **आसिफ खान बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य**

[(2019) 5 SCC 210] के निर्णय का अनुपात प्रासंगिक है| पहले के एक मुकद्दमे **राजकिशोर पुरोहित बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** [(2017) 9 SCC 483] में, यह कहा गया था कि हत्या के सांझा प्रयोजन को स्थापित करने के लिये सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रकट कार्य या हथियारों का कब्ज़ा अनिवार्य नहीं है| **रिछपाल सिंह मीना बनाम घासी उर्फ़ घीसा और अन्य** [(2014) 8 SCC 918] के मुक़दमे में, अनुपात यह है कि घटना में हमले की प्रकृति ऐसी है कि लक्षित व्यक्ति की चोटों से मरने की सम्भावना है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को उसके कृत्य के परिणामों का अवश्य ही पता होना चाहिए|

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन के गवाहों की गवाहियों से दो विसंगतियों के समुच्चय पर प्रकाश डाला| पहला, धनपाल के द्वारा उकसाने के लिये शब्दों के इस्तेमाल से सम्बंधित है, जिसे हम पहले ही उद्धृत कर चुके है| PW-1 द्वारा वर्णित शब्दों को PW-3 द्वारा समरूप ढांचे में दोहराया नहीं गया था| PW-3 ने मौटे तौर पर घटना का एक ही संस्करण दर्ज किया था परन्तु जब धनपाल के द्वारा उकसाने का जिक्र किया तो उसने कहा कि यह “लेलो धाड़ी वाले को बच के न जाने पाए” था| विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में विसंगति के इस पहलु से निम्नलिखित तरीके से निपटारा किया:

“कोई आपराधिक मुकद्दमा छोटी-मोटी विसंगतियों से मुक्त नहीं होता| इस मुकद्दमे का भी इस तरह की विसंगतियों का अपना हिस्सा है| बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक साक्ष्यों का सूक्ष्म अध्ययन किया है और निम्नलिखित विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया है| पहले स्थान पर कि क्या धन्नू का उकसाना था यानि “लो गाड़ी वाली को” या “लेलो धाड़ी वाले को” को थोड़ा स्पष्टीकरण की ज़रूरत है| प्रथम सूचना रिपोर्ट में उकसाना “ले लो रेहड़ीयों वाले को” के रूप में वर्णित है| रेहड़ी, गाड़ी और धाड़ी जैसे शब्द समान उच्चारण वाले शब्द हैं | गवाह ने शायद शब्दों को समान रूप से नहीं सुना होगा और उकसाने का अलग-अलग संस्करण दिये है| उनकी गवाही को इस आधार पर ठुकराया नही जा सकता| दूसरा, यह ध्यान दिलाया गया है कि नरेंद्र और शोभा राम रात के 10:30 बजे तक संजय के साथ थे जैसा कि दोनों संजय और नरेंद्र PW-1 और PW-3 द्वारा कहा गया है| PW-4 शोभा राम ने कहा कि वो तीनों सारी रात वहीं पर रहे| संजय ने कहा पुलिस ने उसका बयान अस्पताल से आने के बाद घटनास्थल पर दर्ज किया था| PW-3 ने कहा कि उसका बयान उसी रात को घटनास्थल पर दर्ज किया गया था| ऐसा ही शोभा राम ने कहा| परन्तु शोभा राम ने यह कहा कि पुलिस ने उसकी मौजूदगी में किसी का भी बयान दर्ज़ नहीं किया था| जबकि PW-1 ने कहा कि वह नहीं कह सकता यदि किसी अन्य गवाह का बयान उसकी मौजूदगी में दर्ज किया हुआ हो| जाँच अधिकारी PW-19 उप-निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि उसने गवाहों के बयान अस्पताल से आने के बाद घटनास्थल पर दर्ज़ किये थे| जब प्रत्येक गवाह ने यह कहा कि उसकी गवाही घटनास्थल पर दर्ज़ कर ली गई थी और जाँच अधिकारी ने भी यही कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहने में उनकी विफलता है कि अन्य गवाहों के बयान घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी में दर्ज़ किये गये थे, महत्वपूर्ण विरोधाभास या महत्वपूर्ण विसंगति का विषय नहीं हो सकते|”

(शब्द प्रति शब्द उद्धृत)

7. अन्य कारक जिस पर हमारा ध्यान खींचा गया था वह था प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी| परन्तु इस तरह की देरी का स्पष्टीकरण जाँच अधिकारी का ड्यूटी अधिकारी को लिखित संप्रेषण से प्रकट होता है, जो कि विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) संख्या- 3045/2010 से उत्पन्न हुई दांडिक अपील संख्या-1442/2019 में अनुलग्नक "P1" के भाग के रूप में है| यह इस प्रकार है:-

> "सेवा में, ड्यूटी अधिकारी पुलिस थाना- भजनपुरा| यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिपोर्ट संख्या- 61 की प्रति की प्राप्ति पर B.I. सिपाही प्रदीप कुमार संख्या- 897 उत्तर-पूर्व के साथ मकान संख्या 3 मौजपुर के पास घटनास्थल की ओर बढ़ा जहां सड़क पर खून पड़ा हुआ था| पूछताछ पर यह मालूम पड़ा कि मृतक अजय कुमार शर्मा पुत्र बाल राम शर्मा को जी.टी.बी. अस्पताल ले जाया गया है और चश्मदीद मौका-ए-वारदात पर मौजूद था| इसलिए सिपाही प्रदीप कुमार को घटनास्थल कि देख-रेख के लिये छोड़ दिया, मैं जी.टी.बी. अस्पताल गया और अजय कुमार शर्मा के सम्बन्ध में MLC रिपोर्ट C-272196 प्राप्त की जिसे डॉक्टर सहाय ने शाम 7 बजे आपातकालीन में मृत घोषित कर दिया था| अस्पताल में मैं संजय कुमार शर्मा, भाई से मिला था और उसके बयान दर्ज़ किये थे जो उसे सुना दिया गया था और जिसकी पुष्टि उसने हिंदी में की थी और उसके हस्ताक्षर मेरे द्वारा सत्यापित किये गये थे| मामले की परिस्थितियों और बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत एक मुकद्दमा बनाया गया और केस डायरी सिपाही रामपाल संख्या- 1537 के पास पुलिस थाने में है| थाना प्रभारी और उनके कर्मचारी भी अस्पताल आ गये| विशेष रिपोर्ट अधिकारी को भेज दी गई और क्राइम टीम व फोटोग्राफरों को मौका-ए-वारदात पर भेजा जाए|"
>
> (शब्द प्रति शब्द उद्धृत)

8. हमने विचारण न्यायालय व अपील में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अपीलार्थियों की ओर से चिन्हित की गई विसंगतियों के निपटाने में उचित पाया| प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज़ होने में देरी को सही तरीके से समझाया गया है और दोषसिद्धि का निर्णय इस कारण से विफल नहीं हो सकता| यह एक तथ्य है कि प्रत्यक्षदर्शी मृतक के परिचित थे और कोई निष्पक्ष गवाह नहीं था| परन्तु सिर्फ इस कारण से हम अपीलार्थियो को निर्दोष नहीं ठहरा सकते| विशेषकर जब प्राथमिक न्यायालय से और प्रथम अपीलीय न्यायालय पहले ही साक्ष्य की जाँच कर चुके हैं और अभियोजन पक्ष के पक्ष में अपना निर्णय दिया है| जहाँ तक अपीलकर्ताओं का सवाल है, हमे दोषसिद्धि के निर्णय और सज़ा के आदेश में कोई त्रुटी नहीं मिलती| सभी तीनों अपीलें खारिज़ की जाती हैं |

9. अपीलार्थियों के ज़मानतनामे रद्द किए जाते हैं | अपीलार्थियों को छः सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और अपनी सज़ा काटने के लिये निर्देशित किया जाता है| यदि वे उपरोक्त समय-सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो विचारण न्यायालय उन्हें हिरासत में लेने के लिये आवश्यक कदम उठाएगा |

लंबित अर्ज़ी(यां), यदि कोई है, निरस्त की जाती है|

इस निर्णय की एक प्रति प्राथमिक न्यायालय के अभिलेखों सहित विचारण न्यायालय को भेजी जाए|

..... न्यायमूर्ति
(दीपक गुप्ता)

..... न्यायमूर्ति
(अनिरुद्ध बोस)

नई दिल्ली
दिनांक: 27 अप्रैल, 2020

<u>अस्वीकरण:</u> *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी |*